

रा.आ.बैंक (न.दि.)/आरओडी/पीएलआई/पुनर्वित्त परिपत्र 03/2018-19
23 मई, 2019

सभी पात्र आवास वित्त कंपनी

महोदया/महोदय

पुनर्वित्त सीमा हेतु आवेदन- कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की वेबसाइट पर तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा को अपलोड करना

राष्ट्रीय आवास बैंक अपने अधिदेश के एक भाग के तौर पर अपने पुनर्वित्त योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। रा.आ.बैंक ग्रामीण आवास से लेकर शहरी निम्न आय आवास, हरित आवास आदि तक बाजार के विभिन्न उप-क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने पर लक्षित पुनर्वित्त का एक रेंज प्रदान करता है।

2. अपने पत्र सं० 1712/बीएनके/10-376023 के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) निदेश के अनुसार, ऋणदाताओं के लिए आवेदन के साथ दर्ज तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरणी को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की वेबसाइट पर दर्ज तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरणी की तुलना करना एवं रा.आ.बैंक के द्वारा ऋणदाता के तौर पर प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।


3. अतः सभी आ.वि.कं. को सूचित किया जाता है कि एमसीए की वेबसाइट पर तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरणी को समय पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

4. इसके अतिरिक्त, आवास वित्त कंपनियों को सूचित किया जाता है कि सीवीसी निदेश के अनुपालन में पुनर्वित्त सीमा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की वेबसाइट पर तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा को अपलोड करना सुनिश्चित करें।

5. हम इस प्रयास में आपके सहायता की आग्रह करते हैं जो रा.आ.बैंक को पुनर्वित्त आवेदनों को समय पर प्रोसेस करने को सुलभ बनाएगा।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,



(के. चक्रवर्ती)

महाप्रबंधक